D

R.M.
29/7/15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर म.प्र.

= =

निगरानी क्र /15 निगरानी - 2592-II/2015

पप्पू तनय बाबू दर्जी निवासी कन्नपुर तह. बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ म.प्र.

...निगराकार

बनाम

शासन म.प्र.

..प्रतिनिगराकार

आवेदन पत्र अंतर्गत पुनरीक्षण धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता

- -

क्रमांक 6397 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 10.8.15 को प्राप्त ... राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

महोदय,

प्रस्तुत निगरानी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्र. 263/स्व. निग./2002-03 में पारित आदेश दिनांक 28.1.2005 से व्यथित होकर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है:-

यहकि प्रकरण का संक्षिप्तमें विवरण इस प्रकार है कि कृषि भूमि स्थित ग्राम कन्नपुर खसरा क्र.971,979, एकत्र रकबा 0.769 है0 निगराकार को तहसीलदार कुड़ीला के द्वारा प्रकरण क्र. 586/बी-121/95-96 के अनुसार दिनांक 12.8.1996 को कृषि हेतु प्रदाय की गयी थी, जिसकी समस्त औपचारिकताये प्रदान करते हेतु भूमि स्वामी के अधिकार प्राप्त किये गये थे, । इसके पूर्व से निगराकार उक्त भूमिपर काबिज होकर कृषि कार्य करता चलाआ रहा है, उक्त भूमि कोउसने कृषि योग्य बनाया व तैयार किया, जिसमें भारी श्रम व रुपये व्ययकिये ।

यहकि, अधिनस्थ न्यायलय अनुविभागीय अधिकारी के किसी अज्ञात प्रस्ताव के माध्यम से विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वमेव निगरानी स्थापित करते उक्त भूमि को अपने आदेश के माध्यमसे शासन में दर्ज करने का आदेश दिया है, जो विधि विरुद्ध है व प्रचलित कानून के विपरीत होने से निरस्तीयोग्य है ।

::निगरानी के आधार::

- - - - - - - - - -

R- 2592-II/15 टीकमगढ़

29/3/16	आवेदक अभि० द्वारा जबसे प्रकरण दायर किया है तबसे वह उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अतः प्रकरण में रुचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। [signature] सदस्य